फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं0: 1050 –मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2012– 50–मा0सं0प्र0–02 / 2007 दिनांक : 17 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0: 4 / 1 / 2002 टी0सी0–1–का–2 / 2012, दिनांक 08.05.2012 को अंगीकृत किये जाने विषयक निगमादेश सं0: 1048–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2012, दिनांक 17 मई, 2012 के बिन्दु सं0:–1 के अधीन उपबिन्दु –ग में उल्लिखित प्राविधानों **"पदोन्नति के अवसर पर प्रथक–प्रथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथा ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाये"** के अनुक्रम में विभागीय चयन समितियों की अनुसंशाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर **"श्रेष्ठता"** एवं **"अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता"** मापदण्डों के निर्धारण विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0: 1327–काविनी / राविप–29 / 96–14–काविनी / 87, दिनांक 11.07.1996 **(अद्यतन संशोधनों सहित)** में निम्नांकित विद्यमान व्यवस्था **(स्तम्भ–1)** को **(स्तम्भ–2)** की उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था / नियम
1	2
जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठता" है – **पात्रता –** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ग अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों की अलग–अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें यथा सम्भव वर्ग विशेष की रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे। परन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिये की जानी है, तब उस स्थिति में अलग–अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग–अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :– **(क) दूसरे वर्ष – के लिए** — **उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।** **(ख) तीसरे वर्ष – के लिए** — **उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।**	**जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठता" है –** **पात्रता –** नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथा सम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियाँ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी :– **(क) दूसरे वर्ष – के लिए** — **उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।** **(ख) तीसरे वर्ष – के लिए** — **उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी।** अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी :

जहाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है :- **पात्रता -** नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त वर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :- **(क) एक से पाँच रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम पाँच।** **(ख) पाँच से अधिक रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस।**	**जहाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है :-** **पात्रता -** नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :- **(क) एक से पाँच रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम पाँच।** **(ख) पाँच से अधिक रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस।**

1. उपरोक्त संशोधित व्यवस्था दिनांक 17 मई, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
2. कार्यालय ज्ञाप सं0: 1327–काविनी/राविप–29/96–14 काविनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 ***(अद्यतन संशोधनों सहित)*** में पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

सं0: 1050 –(1)–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
(2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर) ।
(5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(6) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा0सं0)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(9) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

क्रमशः...............3

(10) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(12) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(13) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी (वे0 एवं ले0)/(पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।

(14) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(वी0पी0 कटियार) 17/5/012

अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–02)